ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक उद्योग / 2018/2912
दिनॉकः 13.07.2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक भूखण्ड आबंटन नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बैठक दिनॉक 07.07.2018 में मद संख्या–112 / 16 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार औद्योगिक भूखण्ड आवंटन नीति निर्धारित की गयी है,जिसके अनुसार भविष्य में औद्योगिक भूखण्ड आबंटित किये जायेगें:–

क) 4000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल हेतु प्राप्त आवेदनों का मय संलग्न सहित (यथा–आवेदक का शपथ–पत्र, टर्नओवर, तुलन–पत्र, नेट वर्थ प्रमाण–पत्र, तरलता प्रमाण–पत्र, परियोजना रिपोर्ट,प्रोमोटर्स / डारेक्टरस, साध्यता रिपोर्ट, फण्ड प्रवाह / नगदी प्रवाह, ज्ञापन)स्कूटनी समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा उक्त श्रेणी के आवेदकों को साक्षात्कार से मुक्त रखा जायेगा तथा वर्णित नीति के अनुसार भूखण्ड का आबंटन किया जायेगा।

ख) 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु प्राप्त आवेदनों का मय संलग्न सहित स्कूटनी समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात साक्षात्कार समिति द्वारा आब्जेक्टिव काइटेरिया (जिसमें परियोजना के संचालन की अवधि,वित्तीय सुदृढीकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, प्रोमोटर्स की पृष्ठ भूमि एवं कार्य अनुभव, परियोजना रिपोर्ट, विगत तीन वर्ष की आडिटेड बैलेन्सशीट एण्ड कैशफलो एवं स्टारट–अप परियोजना प्रस्तुतीकरण शामिल होगा) के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को भूखण्ड आबंटन हेतु अर्ह माना जायेगा तथा वर्णित नीति के अनुसार भूखण्ड का आबंटन किया जायेगा।

ग) अर्ह आवेदक रिक्त निश्चित भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकता है तथा एकल आवेदक होने की स्थिति में आवेदित उक्त रिक्त भूखण्ड उसे आबंटित कर दिया जायेगा।

घ) यदि किसी सैक्टर में रिक्त निश्चित (Specific)भूखण्ड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है,जिनमें से यदि कोई आवेदक अपनी इकाई के विस्तार के लिए आवेदन करता है तथा उसकी इकाई रिक्त भूखण्ड से लगी हुई है तो उसे उक्त भूखण्ड आबंटित किये जाने में वरीयता दी जाये वशर्ते इकाई कियाशील हो एवं आबंटी डिफाल्टर न हो ।

च) किसी सैक्टर में रिक्त निश्चित (Specific)भूखण्ड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उस भूखण्ड को ड्रा के माध्यम से आवेदकों के मध्य आबंटित किये जायेगें। परन्तु यदि कोई आवेदक आबंटन की तिथि से 60 दिन के अन्दर भूखण्ड के सापेक्ष अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त भुगतान का विकल्प देता है, तो उसे आवेदित निश्चित (Specific)भूखण्ड आबंटित किये जाने में वरीयता दी जायेगी। किन्तु यदि एक से अधिक आवेदकों द्वारा भूखण्ड के सापेक्ष अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, तो उनके मध्य आबंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। अवशेष 90 प्रतिशत का एकमुश्त भुगतान समयान्तर्गत न कर पाने की दशा में जमा (10%.) पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एव भूखण्ड का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

छ) प्रीमियम के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि(90%) का भुगतान एक मुश्त करने पर आबंटी को 5% की छूट प्रदान की जायेगी ।

ज) आवेदकों से औद्योगिक भूखण्ड आबंटन हेतु वॉछित सैक्टर / भूखण्ड संख्या के तीन विकल्प प्राप्त कर लिये जायेगें, तदोपरान्त प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प तथा तृतीय विकल्प पर बिन्दु संख्या– 2, 3 एवं 4 के अनुसार आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

12/7/18
(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक

प्रत्येक माह की 1 से अन्तिम तिथि तक भूखण्ड आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को अगले माह की 15 तारीख तक अर्थात 45 दिन के अन्दर उपरोक्त प्रकिया से भूखण्ड आबंटित कर दिया जायेगा।

रिक्त भूखण्डों की सूची प्रत्येक माह प्राधिकरण की वेबसाइट पर अद्ययतन की जायेगी, जिससे आवेदक अवगत हो सके।

दिनॉक 23.02.2018 को सम्पन्न हुए औद्योगिक भूखण्डों के सफल आबंटी यदि आबंटित भूखण्ड के लोकेशन से संतुष्ट नहीं है तो वे पुनः भूखण्ड आबंटन हेतु आवेदन कर सकते है। यदि उनके द्वारा भूखण्ड का रिफण्ड न लिया गया हो तो उस भूखण्ड के सापेक्ष जमा पंजीकरण धनराशि को नये आवेदन में विचार कर लिया जायेगा।

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में निर्गत किये जा रहें ।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)

प्रतिलिपिः—

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0)महोदय के सूचनार्थ ।
3. वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी(वी0) महोदया के सूचनार्थ
4. प्रबन्धक–1(उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रबन्धक(सिस्टम) को इस आशय से कि जन सामान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

उप महाप्रबन्धक (उद्योग)